16.07.2024

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1/1 एवं 1/2/1 के अधिवक्ता श्री उमाराम रेबारी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या दो अनुपस्थित। दोनों पक्षों की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. व आदेश 1 नियम 10(1) व (2) सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा सरगड़ा समाज भीतरोट प्रगणा के नाम से जारी पट्टा के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की है, जिसमें सरगड़ा समाज के कार्यकारिणी के सदस्यों को पक्षकार बनाया गया था, जो पट्टे में सभी नाम अंकित थे, परन्तु उपरोक्त नाम में से कई व्यक्तियों का देहान्त हो चुका है। अतः सरगडा समाज भीतरोट प्रगणा के वर्तमान अध्यक्ष श्री नारायणलाल पुत्र श्री मोतीलाल भिंगोर है तथा सचिव श्री अचलाराम परमार, कोषाध्यक्ष श्री वाघाराम खर्रे, श्री जगदीश कुमार दाणो, श्री नारायणलाल परमार, श्री भभूतमल भूराजी, श्री रतनलाल संवासा, श्री चन्दन खर्रे, श्री अनराज, श्री मनसाराम, श्री प्रभूराम भूराजी, श्री लक्ष्मणलाल परमार व श्री हंसाराम है। ऐसे में उपरोक्त सभी सदस्यों को पक्षकार बनाने की जगह निगरानी प्रार्थना पत्र में सरगड़ा समाज भीतरोट परगना सरूपगंज के पूर्व में बनाए गए सभी सदस्यों को पक्षकार हटाया जाकर उनके स्थान पर वर्तमान अध्यक्ष श्री नारायणलाल पुत्र श्री मोतीलाल भिंगोर निवासी नई धनारी सरूपगंज व कोषाध्यक्ष श्री वाघाराम पुत्र श्री जेताजी जाति सरगडा निवासी नई धनारी सरूपगंज को पक्षकार बनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यह कि कानूनन किसी संस्था व कार्यकारिणी के मृत सदस्यों के लिए आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. व आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत उनके कायम मुकाम रेकर्ड पर नहीं लिए जाते है, बल्कि नई कार्यकारिणी अथवा सदस्यों को पक्षकार बनाया जाता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर निगरानी प्रार्थना पत्र पूर्व में बनाए गए पक्षकार अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/7 को हटाकर उनके स्थान पर सरगड़ा समाज भीतरोट परगना के वर्तमान अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को पक्षकार बनाए जाने के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2/1 के अधिवक्ता श्री उमाराम रेबारी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में जो पक्षकार थे, उनको ही पक्षकार के रूप में संयोजित करना था, लेकिन प्रार्थी द्वारा मृतक व्यक्तियों को भी पक्षकार के रूप में संयोजित कर निगरानी पेश की है, जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किए जाने योग्य है। यह कि सरगड़ा समाज भीतरोट प्रगणा के अध्यक्ष व सदस्यों का समय-समय पर बदलाव होता रहेगा। इस कारण बार-बार पक्षकार से हटाकर नए सर पक्षकार बनाए जाना कानूनन न्यायोचित नहीं है एवं न ही प्रार्थी ने कोई कार्यकारिणी की लिस्ट दस्तावेज पेश किए है कि कब कार्यकारिणी बनाई गई है। इस कारण भी प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। यह कि प्रार्थी द्वारा निगरानी पेश करने के बाद किसी पक्षकार की मृत्यु नहीं हुई है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Continue.....

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी ने मृत व्यक्तियों के विरूद्ध ही निगरानी पेश की है। इस कारण अब नए सर कोई पक्षकार कानूनन नहीं बनाए जा सकते है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2/1 का जवाब स्वीकार फरमाकर प्रार्थी के उक्त प्रार्थना सहित मूल निगरानी प्रार्थना पत्र को ही खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा भीतरोट परगना सरगड़ा समाज के नाम से जारी पट्टे के विरूद्ध निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रार्थी द्वारा पट्टे में अंकित कार्यकारिणी को ही प्रकरण में पक्षकार बनाया गया था, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1/3 से 1/7 को भी पक्षकार बनाया गया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1/3 से 1/7 की प्रकरण पेश करने से पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी। प्रार्थी अधिवक्ता का मुख्यतः तर्क है कि उनके द्वारा भीतरोट परगना सरगड़ा समाज के कार्यकारिणी के सदस्य, जिनका नाम पट्टे में अंकित था, को पक्षकार बनाया गया था, परन्तु उपरोक्त में से कई व्यक्तियों का देहान्त हो चुका है एवं कानूनन किसी संस्था व कार्यकारिणी के मृत सदस्यों के लिए आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. व आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत उनके कायम मुकाम रेकर्ड पर नहीं लिए जाकर नई कार्यकारिणी अथवा सदस्यों को पक्षकार बनाया जाता है। अतः सरगडा समाज भीतरोट प्रगणा के वर्तमान अध्यक्ष श्री नारायणलाल पुत्र श्री मोतीलाल भिंगोर निवासी नई धनारी सरूपगंज व कोषाध्यक्ष श्री वाघाराम पुत्र श्री जेताजी जाति सरगडा निवासी नई धनारी सरूपगंज को पक्षकार बनाया जाए। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2/1 के अधिवक्ता ने व्यक्त किया है कि प्रार्थी द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध निगरानी पेश की है एवं प्रार्थी ने कोई कार्यकारिणी की लिस्ट दस्तावेज पेश नहीं किए है कि कब कार्यकारिणी बनाई गई है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2/1 के अधिवक्ता द्वारा किया गया कथन राही है कि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1/3 से 1/7 की मृत्यु हो जाने से प्रार्थी द्वारा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इसके अलावा इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1/3 से 1/7 के अतिरिक्त शेष पक्षकार जीवित भी है, परन्तु वे वर्तमान कार्यकारिणी के सदस्य नहीं है और यह तथ्य प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2/1 वर्तमान में भीतरोट परगना सरगड़ा समाज की कार्यकारिणी के सदस्य नहीं है। अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/7 को हटाकर उनके स्थान पर सरगड़ा समाज भीतरोट परगना के वर्तमान अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को पक्षकार बनाए जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी अधिवक्ता इस प्रार्थना पत्र के जरिए मूल निगरानी प्रार्थना पत्र के स्वरूप को ही बदलना चाहता है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Continue.....

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 1/3 से 1/7 की मृत्यु हो चुकी थी। अतः प्रार्थी द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं निगरानी प्रार्थना पत्र के शेष पक्षकार भी वर्तमान में सरगड़ा समाज भीतरोट परगना के सदस्य नहीं है। अब यदि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/7 को हटाकर उनके स्थान पर नए पक्षकार बनाए जाते है, तो मूल निगरानी प्रार्थना पत्र का मूल स्वरूप ही बदल जाएगा, जो प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. व आदेश 1 नियम 10(1)व (2) सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को खारिज किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल निगरानी प्रार्थना पत्र को भी खारिज किया जाता है। साथ ही प्रार्थी को यह विकल्प दिया जाता है कि वे सरगड़ा समाज भीतरोट परगना की वर्तमान कार्यकारिणी के सदस्यों को पक्षकार बनाकर नए सिरे से निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner